न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 06 / 2018 अन्तर्गत प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– लक्ष्मणगढ़, मोदी का बाजार, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332311
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

मै. श्रीराम हर्बल एण्ड एग्रोटेक प्रो. रवि प्रकाश बुरड़क पुत्र सुरेन्द्र कुमार, गांव– भूमा छोटा, पोस्ट– भूमा बड़ा, तहसील– लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)।
अप्रार्थी / ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी **श्रीराम हर्बल एण्ड एग्रोटेक प्रो. रवि प्रकाश बुरड़क** को पुनर्भुगतान हेतु अमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable Mortgage of Commercial property Located at Part of Kh. No. 204/4, Village- Bhooma Chhot, Tehsil- laxmangarh, Dist. Sikar. Belonging to Ravi prakash Burdak Admeasuring 500 SQ. Meter. Bounded by North Rasta, South Commercial Land Kh. 204/6/1, East Rasta, Wes Residential land Kh. 204/4/2.** को बंधक रखकर 45,00,000 / –रूपये (अक्षर रूप **पैंतालीस लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रा वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 29.08.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस ज किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था The securitisation and reconstruction of financial assets and enforceme of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उप कराने की इस्तदुआ की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट ... (राज.)

Scanned by CamScanner

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा 45,00,000/— रुपये का ऋण लिया गया, जिसमें से 40,00,000/— रूपये जमा करवा दिये हैं, लेकिन ऋणी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.08.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **श्रीराम हर्बल एण्ड एग्रोटेक प्रो. रवि प्रकाश बुरड़क** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable Mortgage of Commercial property Located at Part of Kh. No. 204/4, Village- Bhooma Chhot, Tehsil- laxmangarh, Dist. Sikar. Belonging to Ravi prakash Burdak Admeasuring 500 SQ. Meter. Bounded by North Rasta, South Commercial Land Kh. 204/6/1, East Rasta, West Residential land Kh. 204/4/2.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 13 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner